संख्या–121 / आ0ब0–आ0नि0 / शमन / 99.2000

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव, आवास /
अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद

आवास बन्धु लखनऊ : दिनांक : 11 मई, 2000

विषय :गाजियाबाद विकास प्राधिकरण स्वैच्छिक शमन योजना के अन्तर्गत एफ.ए.आर. तथा अनुमन्य इकाइयों में कम्पाउण्डिंग के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदया,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में बिल्डर्स एसोसिएशन, साहिबाबाद, गाजियाबाद ने शासन को प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 19.4.2000 द्वारा सूचित किया है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत की गई व्यवस्थानुसार 1000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों पर ग्रुप हाउसिंग निर्माण के शमन हेतु कई आवेदकों ने सेल्फ असेसमेन्ट के आधार पर आवेदन पत्र जमा किए थे। परन्तु प्राधिकरण द्वारा इन मानचित्रों पर अनावश्यक आपत्तियाँ लगाई जा रही हैं जिसके कारण अधिकांश मानचित्र निस्तारण हेतु लम्बित हैं। एसोसिएशन ने अनुरोध किया है कि 1000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों पर अतिरिक्त शमनीय एफ.ए.आर. के साथ कितनी इकाइयाँ शमनीय हैं, की स्थिति स्पष्ट करते हुए प्राधिकरण को आवश्यक निर्देश दिए जाएं।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण स्वैच्छिक शमन उपविधि जो दिनांक 21.4.1998 को लागू की गई थी, की अनुसूची के क्रमांक–12 के अन्तर्गत 1000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड पर निर्मित ग्रुप हाउसिंग / अनुमन्य इकाइयों से अधिक इकाइयों के शमन हेतु स्पष्ट प्राविधान किया गया है। ऐसे प्रकरणों में अनुमन्य एफ.ए.आर. से अधिक एफ.ए.आर. के शमन अथवा अनुमन्य इकाइयों से अधिक इकाइयों के शमन हेतु उपविधि के परिशिष्ट–1ए सिद्धान्त–ब में दिए गए फार्मूला के अनुसार ग्रुप हाउसिंग अथवा एकल भूखण्डों हेतु केवल अधिकतम शमनीय एफ.ए.आर. की सीमा निर्धारित की गई है जिसके अन्तर्गत निर्मित समस्त इकाइयाँ शमनीय हैं।

3. कृपया स्वैच्छिक शमन योजना के अन्तर्गत लम्बित ऐसे प्रकरणों का निस्तारण उपरोक्त व्यवस्थानुसार सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव।

संख्या : 121(1)आ0ब0–आ0नि0 / शमन / 99.2000 तद्दिनांक

प्रतिलिपि श्री एस0 पी0 सिंह, सचिव, बिल्डर्स एसोसिएशन, सी–3ए शालीमार गार्डन, एक्सटेंशन–2ए साहिबाबाद, गाजियाबाद को उनके प्रत्यावेदन दिनांक 19.4.2000 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव।

संख्या–4580 / 9–आ–1–99–120वि0 / 98

प्रेषक,

रामवृक्ष प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

आवास अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 13 अक्टूबर, 1999

विषय :– अनाधिकृत निर्माण के शमन की द्वितीय संशोधन उपविधि लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–869 / प्रवर्तन खण्ड / 99, दिनांक 7–6–99 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा द्वितीय संशोधन शमन उपविधि को गाजियाबाद विकास क्षेत्र में लागू किये जाने तथा परिष्कृत शमन उपविधि के कतिपय प्राविधानों को स्पष्ट किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे आपको यह सूचित करने की अपेक्षा की गयी है कि द्वितीय संशोधन शमन उपविधि,1998 (स्वैच्छिक शमन उपविधि) को कतिपय परिष्कारों सहित गाजियाबाद विकास क्षेत्र में लागू किये जाने हेतु शासनादेश संख्या–3689 / 9–आ–1–1999, दिनांक 27–7–99 द्वारा निर्देश जारी किये जा चुके हैं। उक्त उपविधि के अनुसार 1000 वर्गमीटर से ऊपर के क्षेत्रफल के भूखण्डों पर ग्रुप हाउसिंग के निर्माण से सम्बन्धित प्रकरणों को प्रशमनित किये जाने का प्राविधान शासनादेश संख्या–4167 / 9–आ–1–1998, दिनांक 29–10–98 द्वारा जारी स्वैच्छिक शमन उपविधि के नियम संख्या–3 (3) तथा अनुसूची के क्रमांक–1 (IV) 2 (ख) तथा 4 में दिया गया है। कृपया द्वितीय संशोधन उपविधि को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण क्षेत्र में तत्काल लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
रामवृक्ष प्रसाद,
संयुक्त सचिव।

संख्या–4913 / 9–आ–1–1999–120विविध / 98

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
   उत्तर प्रदेश।

2. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 16 अक्टूबर, 1999

विषय :स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत भू–प्रयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रक्रिया में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 4055 / 9.आ.1.1999.120 विविध दिनांक 25.8.1999 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत भू–प्रयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2. उक्त शासनादेश के प्रस्तर 3 (ii) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि महायोजना अथवा जोनल प्लान में भू–उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रकरण निम्न सूचनाओं / विवरणों सहित शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे :–

(i) विचाराधीन भूखण्डों / स्थलों की महायोजना मानचित्र पर स्थिति।
(ii) विचाराधीन भूखण्डों / स्थलों के अलग–अलग साईट प्लान / सजरा मानचित्र पर स्थिति; भूखण्ड संख्या / सजरा संख्या एवं क्षेत्रफल।
(iii) भू–प्रयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रत्येक प्रकरण पर समिति की अनुशंसा तथा समिति के सदस्यों अथवा उपाध्यक्ष के हस्ताक्षर।
(iv) भू–प्रयोग परिवर्तन के प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड / आवास परिषद बोर्ड द्वारा पारित संकल्प की प्रति।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या–4913 / (1) / 9–आ–1–1999–120 विविध तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु।

आज्ञा से,

रामवृक्ष प्रसाद,
संयुक्त सचिव।

संख्या : 6073 / 9–आ–1–1999–120 विविध / 98

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) आवास आयुक्त,
उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश।

(2) उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास–अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांकः 07 दिसम्बर, 1999

विषय :स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत भू–प्रयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रक्रिया में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–4055 / 9–आ–1–1999–120 विविध / 98, दिनांक 25–8–99 तथा उसके अनुक्रम में शासनादेश संख्या–4913 / 9–आ–1–1999–120 विविध / 98, दिनांक 16–11–99 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेशों के अन्तर्गत यह अपेक्षा की गयी थी कि महायोजना अथवा जोनल प्लान में प्रस्तावित भू–उपयोग विरूद्ध किये गये निर्माण से सम्बन्धित प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड / आवास एवं विकास परिषद के अनुमोदनोपरान्त शासन की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जायेंगे।

2. इस सम्बन्ध में आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों के कार्यकलापों की समीक्षा बैठक दिनांक 11–11–1999 में शासन के संज्ञान में यह बात लायी गयी कि उपरोक्त शासनादेशों के अनुपालन भ–ूप्रयोग में परिर्वतन से सम्बन्धित प्रकरण यदि बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त शासन की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जायेंगे तो इन प्रकरणों के निस्तारण प्रक्रियात्मक विलम्ब होगा जिसके कारण स्वैच्छिक शमन योजना का समापन सम्भव नहीं हो सकेगा। अतः भू–प्रयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण में प्रक्रियात्मक समयबद्धता सुनिश्चित करने हेतु निम्न व्यवस्था निर्धारित की जाती है :–

(i) महायोजना में भू उपयोग परिवर्तन हेतु प्राधिकरण बोर्ड की संस्तुति के उपरान्त शासन द्वारा परिवर्तन पर निर्णय लिया जाता है। इसमें लगने वाले समय की बचत के लिये उचित होगा कि बोर्ड द्वारा एक उप समिति गठित कर दी जाय जो विचार कर बोर्ड की ओर से संस्तुति (अथवा अन्यथा) शासन को उपलब्ध कराये। इसी प्रकार इस समिति को भू–विन्यास में भू–उपयोग परिवर्तन के विषय पर निर्णय लेने हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जा सकता है।

(ii) भू–प्रयोग परिवर्तन से सम्बन्धित आपत्तियों एवं सुझावों की सुनवाई हेतु प्राधिकरण बोर्ड / आवास एवं विकास परिषद द्वारा समिति को अधिकृत किया जा सकता है।

(iii) भू–प्रयोग परिवर्तन से सम्बन्धित पुराने प्रकरण, जो स्वैच्छिक शमन योजना के लागू होने से पूर्व निरस्त किए गए हैं, पर स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत विचार करने हेतु भी बोर्ड द्वारा समिति को अधिकृत किया जा सकता है।

3. कृपया स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत भू–प्रयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रकरणों का बोर्ड की सहमति से उपरोक्त व्यवस्थानुसार समयबद्ध निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव।

संख्या–6073(1)/9–आ–1–1999–120 विविध/98 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवयश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, आवास बन्धु।

आज्ञा से,
रामवृक्ष प्रसाद,
संयुक्त सचिव।

संख्या 2102/9—आ—1—2000

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव, आवास,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग—1 लखनऊ : दिनांक : 08 मई, 2000

विषय :स्वैच्छिक शमन योजना के अन्तर्गत शासन में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण।

महोदय,

विकास प्राधिकरणों के द्वारा घोषित स्वैच्छिक शमन योजना के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना—पत्रों के निस्तारण में प्राधिकरणों के द्वारा लिये गये निर्णयों से असन्तुष्ट होने की शिकायतें शासन में निरन्तर प्राप्त हो रही हैं। अतः उक्त योजना को अधिक प्रभावी तथा लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से श्री राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा—41 की उपधारा—(1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन निम्न निर्देश देते हैं :—

1. क्योंकि अनाधिकृत निर्माण को नियमित करने के लिये शमन मानचित्र की स्वीकृति उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम,1973 की धारा—32 सपठित धारा—15 के अन्तर्गत दी जाती है, इसलिये निर्णय से असन्तुष्ट होने की स्थिति में इन निर्णयों के विरुद्ध मण्डलायुक्त/अध्यक्ष विकास प्राधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकती है। इस हेतु अपीलीय फीस के अतिरिक्त तकनीकी प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में रुपये एक हजार मात्र प्राधिकरण को जमा करना होगा।
2. मण्डलायुक्त तकनीकी बिन्दुओं पर अपनी सहायता के लिये मण्डल स्तर पर उपलब्ध नगर नियोजक या समकक्ष सक्षम तकनीकी अधिकारी का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं अथवा उक्त अधिकारी के साथ अपनी इच्छानुसार शासन द्वारा गठित 8 व्यक्तियों के निम्न पैनल से किसी एक का चयन कर दोनों की एक समिति का गठन कर सकते हैं।
   (i) श्री पचौरी सेवा निवृत्त, मुख्य वास्तुविद, आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
   (ii) श्री एम0एस0 त्यागी, मुख्य नगर नियोजक, प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा (बुलन्दशहर)
   (iii) श्री वाई0के0 रहेजा, सेवा निवृत्त मुख्य अभियन्ता, पालिका केन्द्रीयत सेवा (कानपुर)
   (iv) श्री पी0सी0 महरोत्रा, सेवा निवृत्त मुख्य अभियन्ता, प्राधिकरण सेवा एवं सलाहकार, आवास बन्धु (लखनऊ)
   (v) श्री एन0आर0 वर्मा, अपर निदेशक (नियोजन) आवास बन्धु (लखनऊ)
   (vi) श्री रूपेश जायसवाल, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, पालिका केन्द्रीयत सेवा (आगरा)
   (vii) श्री शंकर नाग देव, सेवा निवृत्त मुख्य अभियन्ता, पालिका केन्द्रीयत सेवा (कानपुर)
   (viii) श्री सी0पी0 अरोरा, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, पालिका केन्द्रीयत सेवा (कानपुर)
3. शिकायत/अपीलकर्ता तथा प्राधिकरण दोनों ही अपना—अपना पक्ष मण्डलायुक्त अथवा उनके द्वारा गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा मण्डलायुक्त समिति के सलाह पर विचारोपरान्त उस पर निर्णय लेंगे। आवश्यकता पड़ने पर मण्डलायुक्त स्वयं अथवा उनके द्वारा गठित समिति स्थल का निरीक्षण भी कर सकती है, जिसकी व्यवस्था सम्बन्धित विकास प्राधिकरण को करनी होगी।

4. समिति की सहायता प्राप्त करने की दशा में समिति में उक्त पैनल के सदस्यों को टी0ए0, डी0ए0 तथा पारिश्रमिक का भुगतान वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा इस विषय में समय–समय पर जारी शासनादेशों के आधार पर आवास बन्धु उत्तर प्रदेश द्वारा किया जायेगा, जिसकी प्रतिपूर्ति सम्बन्धित अभिकरण द्वारा आवास बन्धु को की जायेगी। व्ययभार कम करने के लिये आवश्यक होगा कि एक दिन में कम से कम पाँच प्रकरणों का निस्तारण पैनलिस्ट करेंगे। मण्डलायुक्त/अध्यक्ष भी कृपया इसके दृष्टिगत तिथियाँ तय करें।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या 2102(1)/–आ0–ब0/नि0सम0/आर्बी0/2000–01 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. उपाध्यक्ष समस्त विकास प्राधिकरण को इस अनुरोध के साथ कि वे इस शासनादेश की प्रतियां अपने नगर के सभी प्रतिष्ठित बिल्डर्स तथा आर्किटेक्ट्स को उपलब्ध करा देंगे।
2. आवास विभाग के समस्त अनुभाग।
3. आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
4. स्टेट बिल्डर्स एसोसियेशन, उत्तर प्रदेश द्वारा एल्डिको हाउसिंग एण्ड इन्डस्ट्रीज लि0 प्रगति केन्द्र, कपूरथला, लखनऊ।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग–1
संख्या : 2769 / 9–आ–1–2000
लखनऊ : दिनांक : 8 जून, 2000

कार्यालय ज्ञाप

शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि अधिकतर विकास प्राधिकरणों में स्वैच्छिक शमन योजना के अन्तर्गत जमा किए गए मानचित्रों का निस्तारण कई–कई माह का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी नहीं किया गया है। इसका मुख्य कारण विभाग में इस विषय की जानकारी रखने वाले अधिकारियों की कमी है।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि शासनादेश संख्या : 2102 / 9–आ–1.2000 दिनांक 8.05.2000, द्वारा गठित तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं आवश्यकता पड़ने पर मण्डलायुक्तों की भांति समस्त प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं।

भवदीय,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

संख्या– 2769 (1) / आ0ब0 / नि0सम0 / आर्बी0 / 2000.1 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आवास आयुक्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
2. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. आवास विभाग के समस्त अनुभाग।
4. आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
5. इस्टेट बिल्डर्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश द्वारा एल्डिको हाऊसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0, प्रगति केन्द्र, कपूरथला, लखनऊ।

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

संख्या–3855 / 9–आ–1–2000

प्रेषक

श्री संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त उपाध्यक्ष,**
   विकास प्राधिकरण,
2. **आवास आयुक्त,**
   उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद।

आवास अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 28 अगस्त, 2000

विषय :स्वैच्छिक शमन उपविधि के प्रयोजन हेतु ''निर्मित भवन'' की व्याख्या स्पष्ट किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 4167 / 9–आ–98 दिनांक 24.10.1998 द्वारा जारी विकास प्राधिकरण (अपराधों का शमन) (द्वितीय संशोधन), उपविधि, 1998 की टिप्पणी–2 के अनुसार शमन हेतु आवेदन केवल उन्हीं भवनों के सम्बन्ध में स्वीकार्य रखे गए हैं जो इस संशोधन उपविधि के लागू होने की तिथि तक ''निर्मित'' हो चुके हैं। शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि ''निर्मित'' भवन के सम्बन्ध में कतिपय विकास प्राधिकरणों द्वारा भ्रामक स्थिति उत्पन्न की जा रही है जिसके फलस्वरूप स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत प्राप्त कई आवेदन इस आधार पर निरस्त कर दिए गए हैं / किए जा रहे हैं, कि भवन पूर्णतः निर्मित नहीं है। परिणामस्वरूप कई आवेदकों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0 प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–2 (बी) में निहित 'भवन' की परिभाषा के दृष्टिगत शमन के प्रयोजन हेतु ''निर्मित भवन'' का तात्पर्य निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है :–

(i) भवन का तात्पर्य संरचना अथवा मतमबजपवद या उसके भाग जो वास्तविक उपयोग में हो अथवा नहीं, से है।

(ii) यदि भवन मतमबजमक है और विद्यमान संरचना के अनुसार भू–आच्छादन तथा एफ0ए0आर0 कमपिदमक हैं और उसमें जिस भाग की कम्पाउण्डिंग होनी है, यदि वह निर्मित हो चुका है, तो ऐसे भवन को ''निर्मित भवन'' माना जाएगा भले ही उसमें प्लास्टरिंग, सैनेट्री कार्य, विद्युत–कार्य, दरवाजे एवं खिड़कियां तथा पेन्टिंग आदि का कार्य पूर्ण हुआ हो अथवा नहीं।

3. कृपया स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण उपरोक्त स्पष्टीकरण के अनुसार सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

संख्या–3855(1) / 9–आ–1–2000 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. अधिशासी निदेशक, उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।